

गीला कचरा सूखा कचरा एक में देने वालों पर देने वालों से ₹600 अर्थ दंड वसूला गया

भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चल रहा है। डोर-टू-डोर जाकर सफाई मित्र द्वारा घर से निकलने वाले कचरे को एकत्रित किया जा रहा है। घर-घर जाकर समझाने के बाद भी बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो गीला कचरा सूखा कचरा एक में मिलाकर दे रहे हैं। ऐसे हितग्राहियों के लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने निर्देश दिया कि आदत डालने के लिए ऐसे परिवार के सदस्य जो गीला कचरा सूखा कचरा कचरा एक में मिलाकर देते हैं। उन सभी से अर्थ दंड वसूला जाए, थोड़ा-थोड़ा करके। ऐसे 30 लोगों से नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों द्वारा ₹600 चालानी कार्रवाई की गई। परिवार के सदस्यों को समझाईस दी गई कि दोबारा अगर इस प्रकार से गीला कचरा एवं सूखा कचरा एक में देंगे तो उनके घर से कचरा संग्रहण बंद कर दिया जाएगा। जोन क्रमांक 4 के स्वास्थ्य अधिकारी वीरेंद्र बंजारे, सुपरवाइजर बोधन साहू एवं उनकी टीम घूम-घूम कर चालानी कार्रवाई कर रही है।

